रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 1995/पौष 16, 1916
No. 19] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 1995/PAUSA 16, 1916

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1995

का.आ. 19(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के पैरा 9 उपपैरा 6 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग मंत्रालय (रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग) के आदेश सं. का.आ. 808(अ) दिनांक 23 अगस्त, 1988 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम.सं.	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5
"1.	आइसोफुलविन टिकियां	125 मि. ग्राम/ टिकिया	10 का पत्ता	5.58"

[सं. 9(40)/94 पी आई-2]
बी. बालगोपाल, उप सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(ii) दिनांक 23-8-1988 में उद्योग मंत्रालय (रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग) की सरकारी अधिसूचना सं.का.आ. 808(अ) दिनांक 23-8-1988 के रूप में प्रकाशित हुआ था और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा उसका संशोधन किया गया था :—

(1) सरकारी अधिसूचना स.का.आ. 513(अ) तारीख 9-7-1992

(2) सरकारी अधिसूचना सं.का.आ. 494(अ) तारीख 6-7-1993

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3(ii) में प्रकाशित।

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(Department of Chemicals & Petro-chemicals)

ORDER

New Delhi, the 6th January, 1995

S.O. 19(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 9 of the Drugs (Prices Control) Order, 1987, the Central Government hereby makes the following amendments in the order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Industry (Department of Chemicals and petro-chemicals) No. S.O. 808(E) dated 23-08-1988:

In the Table below the said order, for serial numbers 1 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:

TABLE

Sl. No.	Name of the Formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price Rs.
1	2	3	4	5
"1.	Griseofulvin Tablet	125mg/Tablet	10's Strip	5.58"

[No. 9(40)/94-PI.II]
B. BALAGOPAL, Dy. Sec.

NOTE : The principal order was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3 (ii) dated 25-03-1988 vide Government notification, Ministry of Industry (Department of Chemicals and Petro-chemicals) No. S.O. 808(E) dated 23-08-1988 and was subsequently amended vide:

(1) Government Notification S.O. No. 513 (E) dated 09-07-1992

(2) Government Notification S.O. No. 494 (E) dated 06-07-1993

published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995